कार्यालय उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, पलामू।

(आपूर्ति शाखा)

प्रेस विज्ञप्ति

सरकार के सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 4100 दिनांक 26.09.2017 से प्राप्त निदेश के आलोक में खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2017–18 में किसानों से धान अधिप्राप्ति का कार्य माह दिसम्बर 2017 से प्रारम्भ किया जाना है। इस कार्यालय के द्वारा किसानों के पंजीयन हेतु विहित प्रपत्र सभी अंचलों में उपलब्ध करा दिया गया है। कृषक भाईयों से अनुरोध है कि जिन किसानों को 2016–17 में पंजीयन नहीं हुआ है वे अपने संबंधित अंचलाधिकारी के कार्यालय से Form प्राप्त कर पूर्ण रूपेण Form भरकर अंचलाधिकारी के कार्यालय में सत्यापन हेतु जमा करेगें। वर्ष 2016–17 में जिन किसानों का पंजीयन हो गया है, उनका Form भरने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में निबंधित किसानों को यदि कोई सुधार की आवश्यकता हो, तो सुधार हेतु Form भरकर अंचल में जमा करेगें। किसानों को पंजीयन के समय Form में इस बिन्दु का उल्लेख अनिवार्य है कि किसान द्वारा अनुमानित कितना धान बेचा जाना है एवं इसी के अनुरूप धान क्रय किया जायेगा। विगत खरीफ विपणन मौसम 2016–17 मे तैयार डाटावेस का Printout लेकर संबंधित किसानों द्वारा भूमि का रकबा एवं अन्य अपेक्षित सूचनाओं में परिवर्तन/सुधार कराया जा सकता है।

21.11.17

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
पलामू।